

नकल आदेश दिनांक 22/07/23 कामपति



आदेश पत्रक

न्यायालय : उपजिलाधिपती
 मध्यम : अर्थात्, जनपद : आराखी, तहसील : अमरानेही घाट
 घाट संख्या :- 3004/2023
 कंप्यूटरीकृत घाट संख्या :- T202341348023004
 TRIBUPATI CHABITABLE TRUST जनम उत्तर प्रदेश सरकार
 अंतर्गत घाटा :- 80, अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006



निर्णय

प्रस्तुत घाट घाटा-80 उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता-2006 के अन्तर्गत त्रिसुपति चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से निवेश मित्र फोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन, दिनांक 18.07.2023 विन्यास था। प्रस्तुत आवेदन की जीव तहसीलदार अमरानेहीघाट द्वारा कलक्रे अपनी ऑनलाइन जीव आवेदन दिनांक 20.07.2023 प्रस्तुत की गयी।

उपरोक्त को सम्बन्ध में तहसीलदार अमरानेहीघाट द्वारा प्रेषित जीव आवेदन दिनांक 20.7.2023 में त्रिसुपति चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम अंकित खाता संख्या 530 की गाटा संख्या 268 / 0.038हे०, 270ख/0.300हे०, 291 / 0.012हे०, 299 / 0.515हे० व खाता संख्या 527 की गाटा संख्या 246 / 0.095हे०, 289 / 0.067हे०, 297 / 0.138हे०, 291 / 0.099हे०, 252 / 0.078हे० व खाता संख्या 340 की गाटा संख्या 276 / 0.057हे० व खाता संख्या 533 की गाटा संख्या 278 / 0.031हे०, 279 / 0.034हे० व खाता संख्या 532 की गाटा संख्या 286 / 0.186हे० व खाता संख्या 531 की गाटा संख्या 288 / 0.230हे० व खाता संख्या 536 की गाटा संख्या 293 / 0.137हे० व खाता संख्या 498 की गाटा संख्या 284 / 0.362हे० व खाता संख्या 420 की गाटा संख्या 271 / 0.083हे० के आंशिक भाग 0.0315हे०, 272 / 0.089हे० के आंशिक भाग 0.0445हे० व खाता संख्या 98 की गाटा संख्या 270क / 0.025हे०, व खाता संख्या 153 की गाटा संख्या 262 / 0.089हे०, व खाता संख्या 50 की गाटा संख्या 283 / 0.093हे० व खाता संख्या 603 की गाटा संख्या 284 / 0.083हे० कुल 22 किलो 3.169हे० सम्पूर्ण भाग छे सम्बन्ध में घाटा-80 उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अन्तर्गत अर्द्धिक घोषित किये जाने के हेतु आवेदन निम्न प्रकार है:-

1-घाटा-80 उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अन्तर्गत तहसीलदार अमरानेहीघाट द्वारा प्रेषित आवेदन निम्नवत् है:- (प्राप्त पत्रावली संलग्न है)

राजस्व भाग का नाम-बनीकोटर

परगना-सूर्यपुर

ग्राम का नाम	भूमिधर का नाम पिता का नाम व स्थान	खाली खाता संख्या	खाली का क्षेत्र	मा0गु.	गाटा संख्या	क्षेत्र	विशिष्ट वर कृषि प्रयोजन के लिए खाता या उराव्य कोई भाग	विशिष्ट विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9
बनीकोटर	त्रिसुपति चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा	530	0.071हे०	38.10	268 270ख 291 299	0.038 0.300 0.012 0.515	एकमा 3.109हे० पर बाभिलियक गतिविधियों	चाउसी

पृष्ठ संख्या :



आदेश पत्रिका

न्यायालय : उपजिलाधिकारी
 मण्डल :अयोध्या, जनपद :बागमती,तहसील :रामसनेही घाट
 वाद संख्या :-3004/2023
 कंप्यूटरीकृत वाद संख्या :-1202341248023004
 TIRUPATI CHARITABLE TRUST बनाम उत्तर प्रदेश सरकार
 अंतर्गत धारा:- 80, अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2008



लज्जा चतुर्वेदी	527	1,113	23.50	246 289 297 251 252	0.095 0.067 0.139 0.098 0.070	विद्यमान है। शुभि कार्य से प्रयुक्त नहीं हो रहा है।
	340	0.057	01.35	276	0.057	
	533	0.065	01.80	278	0.031	
				279	0.034	
	532	0.186	04.85	280	0.186	
	531	0.390	04.95	288	0.230	
	535	0.137	08.80	293	0.137	
	498	0.162	03.10	294	0.162	
	420	0.228	09.85	271	0.0315	
				272	0.0445	
	99	0.215	10.70	270क	0.025	
	153	0.009	08.85	282	0.009	
	50	0.093	04.60	283	0.093	
	603	0.093	04.60	284	0.093	
	योग			कुल 22 किता	3.1090	

1-आवेदिका की खाता संख्या 630 की गाटा संख्या 255/0.038800, 270ख/0.306800, 291/0.012800, 299/0.515800 व खाता संख्या 527 की गाटा संख्या 246/0.095800, 289/0.887800, 297/0.139800, 251/0.098800, 252/0.076800 व खाता संख्या 340 की गाटा संख्या 276/0.057800 व खाता संख्या 533 की गाटा संख्या 278/0.031800, 279/0.034800 व खाता संख्या 532 की गाटा संख्या 280/0.186800 व खाता संख्या 531 की गाटा संख्या 288/0.230800 व खाता संख्या 535 की गाटा संख्या 293/0.137800 व खाता संख्या 498 की गाटा संख्या 294/0.162800 व खाता संख्या 420 की गाटा संख्या 271/0.0315800 के आंशिक भाग 0.0315800, 272/0.0445800 के आंशिक भाग 0.0445800 व खाता संख्या 99 की गाटा संख्या 270क/0.025800, व खाता संख्या 153 की गाटा संख्या 282/0.009800, व खाता संख्या 50 की गाटा संख्या 283/0.093800 व खाता संख्या 603 की गाटा संख्या 284/0.093800 कुल 22 किता 3.109800 के सम्पूर्ण भाग पर वाणिज्यिक गरीबिधियों विद्यमान है, जिसका सम्बन्ध शुभि बागमती, मत्स्य पालन व कुलकुट पालन से नहीं है।

2-आवेदिका द्वारा अशुभिक धीमित किये जाने वाली गू-भाग से सम्बन्धित मजरी नकसा संलग्न किया गया है, जिसका सम्बन्ध शुभि बागमती, मत्स्य पालन व कुलकुट पालन से नहीं है।

3-उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली-2008 की धारा-80(2) के अन्तर्गत घोषणा के लिए निर्धारित मूल्यांकन सूची के अनुसार उद्घोषणा/औद्योगिक शुल्क प्रयोगत तक्ये का शुभि प्रयोजन के लिए निर्धारित शर्जित रेट के अनुसार आगणित रकम का एक प्रतिशत कराया जाता है।

4-आवेदिका का आवेदन निवेद-गिज मोर्टल के माध्यम से वाणिज्यिक प्रयोजन हेतु किया गया है। इस कारण आवेदिका द्वारा ऑनलाइन शुल्क मुं 85504.00 रूपया दिनांक 20.07.2023 को जमाकर शुल्क हसीद प्राप्ता करायी गयी है, एवं न्याय शुल्क 05584.00 रूपया चालान संख्या-जी.एल.00007 व

पृष्ठ संख्या :



आदेश पत्रक

न्यायालय : उपजिलाधिकारी
मण्डल : अयोध्या, जनपद : बाराबंकी, तहसील : रामसनेहीघाट
घाट संख्या : 3004/2023
कंप्यूटरीकृत घाट संख्या :- T202341248023004
TIRUPATI CHARITABLE TRUST बनाम उत्तर प्रदेश सरकार
अंतर्गत धारा:- 80, अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006



सीमांकन शुल्क रु० 1000.00 रूपया वाला संख्या-जी.एल.00000 के द्वारा दिनांक 21.07.2023 को जमाकोष कार चालान की प्रति उपलब्ध करा दी गयी है, जो संलग्न प्रामाणी है।
5-अनापत्ति के सम्बन्ध में प्रसंगत ग्राहक संख्या 271 व 272 के सहकारोद्यम संचालन, कोषली व रामपुर की ओर से अनापत्ति शपथ पत्र दायित्व किया गया है अन्य घाटों में कोई सहकारोद्यम न होने के कारण अनापत्ति शपथ पत्र प्रस्तुत किये जाने का कोई अधिष्ठान नहीं है।
अतएव प्रसंगत प्रसंगत घाटा संख्याओं के मुद्दे रकमा 2,16,000 के सम्पूर्ण भाग पर वाणिज्यिक गतिविधियां छे प्रयोग में लाया जा रहा है। इस कारण धारा-80 उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता-2006 के अन्तर्गत अनुचित घोषित किये जाने हेतु रिपोर्ट संस्तुति सहित अप्रस्तुत की गयी है। सहकारीलया रामसनेहीघाट जनपद बाराबंकी की जॉन आख्या एवं पञ्चायती पर उपलब्ध साक्ष्यों का सम्पूर्ण परीक्षण किया गया, जिससे सिद्ध होता है कि आवेदक की अनुचित नूनि के रकमे को पूर्णतया गैर कृषिक किया जा सकता है। ऐसी दशा में उपरोक्त नूनि राजस्व संहिता 2006 की धारा 80(2)के अन्तर्गत गैर कृषिक घोषित किये जाने में कोई विधिक अड़चन नहीं है।

आदेश

अतः प्राप्त बनीकोड परमना सूरपुर सहकारीलया रामसनेहीघाट की खतीनी एवं 1427-143280 की खाता संख्या 530 की घाटा संख्या 286/0.03880, 2708/0.30080, 291/0.01280, 299/0.51580 व खाता संख्या 527 की घाटा संख्या 246/0.09980, 289/0.68780, 297/0.13980, 251/0.09880, 282/0.07880 व खाता संख्या 340 की घाटा संख्या 278/0.05780 व खाता संख्या 533 की घाटा संख्या 278/0.09180, 278/0.09480 व खाता संख्या 532 की घाटा संख्या 286/0.19080 व खाता संख्या 531 की घाटा संख्या 288/0.23080 व खाता संख्या 535 की घाटा संख्या 293/0.13780 व खाता संख्या 488 की घाटा संख्या 284/0.16280 व खाता संख्या 420 की घाटा संख्या 271/0.08380 के आंशिक भाग 0.031880, 272/0.08880 के आंशिक भाग 0.044880 व खाता संख्या 89 की घाटा संख्या 2708/0.02580, व खाता संख्या 153 की घाटा संख्या 282/0.08980, व खाता संख्या 60 की घाटा संख्या 283/0.03380 व खाता संख्या 803 की घाटा संख्या 284/0.08380 कुल 22 किता 2,16,000 के सहकारोद्यम सिरुपति वीरिठेवल ट्रस्ट किया जी 8, सैक्टर 41 नौबडा, 201301 गौतमगुडनगर 20080 गौरीसिया अरुणा भीगाती लखवा सपुरेदी पुत्री रामसुहावर तियादी पहरी अखिलेश सपुरेदी लि० जी 8 सैक्टर 41, नौबडा 201301 गौतमगुडनगर 20080 हा०लि० नया बनीकोड परमने बनीकोड परमना सूरपुर की नूनि को उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता-2006 की धारा 80(2) के अन्तर्गत गैर कृषिक घोषित किया जाता है। सहकारीलया रामसनेहीघाट की आख्या दिनांक 20.07.2023 आदेश का अंग रहेगा। यदि उपलब्धित घाटा संख्या के विरुद्ध ऐसा कोई प्रतिवृत्त सम्म प्रकार में आता है तो उक्त आदेश रखा निरस्त समझा जावेगा। आदेश की प्रति उपनिष्यक रामसनेहीघाट को अनुचालन हेतु गैरी प्राप। यह अपलवसापद पञ्चायती सहित वाणिज्येध्यागर ही।
दिनांक- 23.7.23



307
किस प्रकार का नूनि 22/07/23
कौन कौन की लि० 84/07/23
किस को नूनि 827/0
किस के नूनि 719-5225-0000
किस 02/11/23
पुस्त संख्या :

उपनिष्यक
रामसनेहीघाट-बाराबंकी।

सत्य प्रतिनिधि
2024 723
उपनिष्यक
रामसनेहीघाट / उपनिष्यक
02-14-23
बाराबंकी